भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

21.09.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1826 का उत्तर

माल ढुलाई गलियारों का निजीकरण

1826. श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यात्री रेलगाड़ी के प्रचालन के लिए निजी कम्पनियों को अनुमति प्रदान करने के पश्चात् भारतीय रेल निजी प्रचालकों के लिए दो माल ढुलाई गलियारे खोलने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय समर्पित माल ढुलाई गलियारा निगम (डीएफसीसीआईएल) ने इस संबंध में प्रक्रिया आरंभ कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) निजी प्रचालकों द्वारा चलाए जाने के लिए अनुमति प्रदान किए गए मार्गों और रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है; और

(च) माल ढुलाई गलियारों और यात्री रेलगाड़ियों के निजीकरण हेतु भविष्य की क्या योजना है और इस प्रक्रिया से रेलवे कर्मचारियों के किस सीमा तक प्रतिकूल रूप में प्रभावित होने की संभावना है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): मौजूदा निर्देशों एवं योजना के अनुसार, समर्पित माल गलियारा (डीएफसी) नेटवर्क पर भारतीय रेल ही माल गाड़ियों का एकमात्र संचालक रहेगा। निजी स्वामित्व वाले वैगन/माल गाड़ियां जिन्हें इस समय भारतीय रेल पर संचालित की जा रही है, अब समर्पित माल गलियारों पर भी संचालित की जाएगी। माल यातायात गलियारों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है।

*****